कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर (राजस्थान)

वन भवन, जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या–0145–2429796 (ऑफिस) E-mail:- dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ14( ) एफसीए/उवसं/2019–20/ दिनांक :

किशनगढ़–हनुमानगढ़ मेगा हाइवे का निर्माण सन् 2007 में किया गया था एवं राजस्व ग्राम चक बीड़ सुरसुरा में तीखे घुमावों को सुधारने के लिए 0.5592 हेक्टेयर वन भूमि पर बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया गया है जो कि वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अनुसार उल्घंन की श्रेणी में आता है।

उक्त परियोजना के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्घंन स्वरूप कार्यकारी ऐजेन्सी के परियोजना प्रंबधक को सूचित किया गया की वन भूमि पर अब किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नही किया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त क्षेत्रफल के लिए वन प्रत्यावर्त प्रस्ताव प्रेषित करें इसके अलावा दोषी लोगों के खिलाफ जांच कार्य प्रक्रियाधीन है एवं संम्बन्धित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अब भविष्य में इस प्रकार का कोई भी गैर वानिकी कार्य नही करने दिया जाये।

चूंकी चक बीड़ सुरसुरा में किशनगढ़–हनुमानगढ़ मेंगा हाइवे पर तीखे घुमाव थे जिसके कारण आये दिन दुर्घटना का अंदेशा बना रहता था एवं पूर्व में निर्मित संड़क राजस्व रिकार्ड के अनुसार निर्मित नही थी एवं बाद में कर्व इम्पुर्वमेंट राजस्व रिकार्ड में दर्ज अलाइन्मेंट के अनुसार ही किया गया है। अतः कार्यकारी एजेन्सी एक सरकारी विभाग है एवं जनहित का कार्य होने के कारण इस आशय के साथ प्रस्ताव की अनुशंषा की जाती है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा उल्लंघन स्वरूप जो भी राशि अधिरोपित की जायेगी वो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवा दी जावेगी।

इस आशय का शपथ पत्र भी प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलगन कर दिया गया है। वर्तमान में मौके पर किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नही किया जा रहा है एवं 3.9108 हेक्टेयर वन भूमि मोजूदा सड़क चौडाईकरण के लिए काम में ली जायेगी एवं उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया गया है।

(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक,
अजमेर